दिनांक 7.11.2009 को माननीय मुख्यमन्त्री जी की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की समीक्षात्मक बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 7.11.2009 को माननीय मुख्यमन्त्री महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्यगणों की सूची संलग्न परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक के प्रारम्भ में शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने संवत् 2066 में अब तक संचालित की जा रही राहत गतिविधियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए माननीय सदस्यों को अवगत करवाया कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा भू–राजस्व वसूली एवं आबियाना शुल्क स्थगित किये जा चुके हैं। साथ ही, अल्पकालीन सहकारी फसली ऋणों को मध्यम कालीन ऋणों में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राहत गतिविधियाँ जिनमें रोजगार सृजन, आपातकालीन पेयजल परिवहन, पशु चारा डिपो, असहाय सहायता, पशुओं के लिए दवाईयाँ, आदि कार्य हाथ में लिए जा चुके हैं। विभाग द्वारा सी0 आर0 एफ0 मद से रोजगार सृजन हेतु 18.19 करोड, माह नवम्बर, 2009 तक पेयजल परिवहन मद में 18.67 करोड, पशुओं की दवाई आपूर्ति हेतु 7.08 करोड तथा असहाय सहायता मद के अन्तर्गत 7.08 करोड रूपये की राशि जिलों को आवंटित की जा चुकी है। राहत गतिविधियों के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2009 में आवंटित श्रमिक सीमा 54,200 के विरूद्ध 14,902 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। नवम्बर माह तक स्वीकृत 839 चारा डिपो में से 60 चारा डिपो का संचालन किया जा रहा है तथा आपातकालीन पेयजल परिवहन मद में 25 कस्बों तथा 678 ग्राम व ढाणियों में क्रमशः 3263 व 1362 टेंकर ट्रिप्स प्रतिदिन समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। विभाग द्वारा 19 जिलों में चिन्हित व्यक्तियों को असहाय सहायता प्रदान करने हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने यह भी अवगत कराया कि अभावस्थिति की समीक्षा अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से 6 व 8 अक्टूबर, 2009 को की जा चुकी है व आगामी वीडियो कांफ्रेसिंग 12.11.2009 को प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त राहत गतिविधियों के विभिन्न मदों की समीक्षा/ निर्णय हेतु गठित टास्क फोर्स की बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं एवं आवश्यक निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिये जा रहे हैं। सी0 आर0 एफ0 मद में अब तक हुए व्यय एवं उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों की जानकारी भी माननीय सदस्यों को अवगत कराई गई। यह भी अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा एन0 सी0 सी0 एफ0 मद से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को भेजे गये ज्ञापन पर अभी तक निर्णय अपेक्षित है।

शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में चल रहे चारे के वर्तमान भावों रूपये लगभग 300–800 प्रति क्विंटल की जानकारी भी दी। इसके अलावा चारा डिपो के परिवहन हेतु देय अनुदान की भी विस्तृत जानकारी दी गई। प्राधिकरण द्वारा लिए गए पूर्व निर्णयों की अनुपालना में राज्य के 7 गैर अभावग्रस्त जिलों एवं 3 आंशिक अभावग्रस्त जिलों में स्थिति की पुनः समीक्षा किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा सम्बन्धित जिला कलैक्टरों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए थे जिसकी अनुपालना में प्रतापगढ जिले में 631 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जिस संबंध में पत्रावली पृथक से प्रस्तुत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पशु संरक्षण गतिविधियॉ क्रमशः पशु शिविर, गौशाला अनुदान एवं पशु आहार केन्द्र जो अब तक प्रारम्भ नहीं की गई है, उनके सम्बन्ध में भी निर्णय लिए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

इसके पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि ने अवगत करवाया कि राज्य में चारे का भाव 500 से 800 रूपये प्रति क्विंटल है एवं चारे की गम्भीर समस्या नहीं है एवं जिलों द्वारा व्यवस्थाएँ स्वयं के स्तर पर की जा रही है। कृषि विभाग ने ऐसे कृषकों, जिनके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, को 9.02 लाख चारे के मिनीकिट वितरित किए जा चुके हैं जिससे लगभग 61.50 लाख मै0 टन हरा चारा पैदा होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त विभाग की जायद रबी में 2.50 से 3.00 लाख चारे के मिनिकिट उपलब्ध करवाने की योजना है। कृषकों द्वारा पैदा किया गया हरा चारा स्वयं उसके द्वारा अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा क्रय करके उपयोग में ले लिया जायेगा। अतः राज्य सरकार की आरे से इस चारे की खरीद के लिए पृथक से योजना बनाने की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। कृषि विभाग द्वारा यह अवगत करवाया गया कि चालू वर्ष में रबी की बुवाई में लगभग 10.00 लाख हेक्टेयर भूमि में कम बुवाई होगी एवं पानी की अपर्याप्तता के कारण गेहूँ के स्थान पर सरसों व चने की बुवाई की जा रही है। **ग्रामीण विकास मन्त्री जी ने यह अवगत करवाया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कृषि समर्थन मूल्य में, गेहूँ के मूल्यों को सरसों के मूल्य की अपेक्षाकृत अधिक वद्धि की गई हैं, जिसके कारण किसान गेहूँ की खेती की ओर प्रेरित होता है जबकि यह राज्य में पानी की कमी को देखते हुए उचित नहीं है । अतः मन्त्री महोदय ने यह अनुरोध किया कि कृषि विभाग इस सम्बन्ध में भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करें, एवं माननीय मुख्यमन्त्री जी की ओर से पत्र भिजवाये। माननीय मन्त्री महोदय ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य की स्थिति को देखते हुए फसलों के पेटर्न पर भी पूरी तरह से विचार करने की आवश्यकता है ताकि कम पानी के बावजूद राज्य का हित हो सके।**

इसके उपरान्त प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग ने अवगत करवाया कि लगभग 1400.00 करोड रूपये के अल्पकालीन सहकारी ऋणों को मध्यम कालीन ऋणों में परिवर्तित करना पडेगा। जिसके लिए राज्य सरकार को लगभग 219.00 करोड

रूपये, नाबार्ड को 877.00 करोड रूपये एवं 365.00 करोड रूपये बैंकों को देना होगा। उन्होने बताया कि यदि कृषि बीमा योजना के दावों को कृषि विभाग द्वारा जल्दी निपटा दिया जाए, तो बीमे की राशि शीघ्र प्राप्त हो जाने से राज्य पर अपेक्षाकृत कम वित्तीय भार पड़ेगा। अन्यथा नाबार्ड को भी राज्य सरकार की ओर से गारण्टी देनी होगी। मा0 मुख्यमन्त्री जी ने कृषि बीमा योजना एवं इसके क्लेम सैटलमेण्ट के लिए निर्धारित फसल कटाई प्रयोग की प्रक्रिया /योजना पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किये जाने के निर्देश कृषि विभाग को प्रदान किए।

इसके पश्चात् प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग द्वारा पशु संरक्षण के लिए लगाए जा रहे शिविरों की प्रगति से सदस्यों को अवगत करवाया। राज्य के 5200 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण शिविर लगाया जाना अभाव स्थिति को देखते हुए आवश्यक है। परन्तु विभाग के पास परिवहन के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण मोबिलिटि की समस्या है। शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने यह अवगत करवाया कि विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर विचार करके प्रशिक्षण व सामर्थ्य विकास मद से इस हेतु धनराशि उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग ने अवगत करवाया कि पशु चिकित्सा हेतु सी0 आर0 एफ0 मद से आवंटित राशि जिन जिला कलेक्टरों द्वारा अब तक विभाग को नहीं दी गई है, उसे वह विभाग को उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। मा0 जल संसाधन मन्त्री महोदय ने यह अवगत करवाया कि पशु शिविरों का संचालन सरकारी स्तर से किया जाना उचित रहेगा।

इसके उपरान्त प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा यह अवगत करवाया गया कि पेयजल हेतु 240.00 करोड की कण्टीजेन्सी योजना माह दिसम्बर, 2009 तक पूरी कर ली जावेगी एवं द्वितीय चरण के लिए 270.00 करोड रूपये की राशि भारत सरकार से मिल जायेगी। विभाग द्वारा अधि–दोहन के कारण पानी की समस्या की विकटता से अवगत कराते हुए बतलाया कि बीसलपुर बांध में पानी माह फरवरी तक के लिए ही पर्याप्त है एवं विभाग द्वारा इसके पश्चात पीने का पानी उपलब्ध करवाने की पूरी योजना बना ली गई है ताकि पेयजल के संकट से निपटा जा सके।

माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने अन्तिम छोर पर पानी नहीं पहुँच पाने की समस्या को देखते हुए इसके लिए सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभाग स्वयं के स्तर पर प्रभावी व्यवस्था करें, जिससे कि विभागीय कर्मचारी पानी के वितरण के प्रति अपने दायित्व का भली प्रकार निर्वहन करें। जिला कलेक्टरगण, तथा पुलिस अधीक्षकगण एवं संभागीय आयुक्तगण एवं पुलिस महानिरीक्षकगण भी जिलों की स्थानीय समस्याओं के प्रति सजग रहे एवं समस्याओं का समाधान करें। मा0 कृषि मन्त्री जी ने पेयजल के अवैध कनेक्शनों की समस्या एव पानी की चोरी रोकने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया। इस सम्बन्ध में प्रमुख शासन

सचिव, जल संसाधन द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग के समस्त रिक्त पदों को भरा जा चुका है एवं आगामी 7 दिनों में जिलेवार मास्टरप्लान तैयार कर लिया जावेगा। उन्होंने सन्तोष व्यक्त किया कि इस बार पानी की चोरी रोकने के सम्बन्ध में गृह विभाग/पुलिस का अच्छा सहयोग विभाग को मिल रहा है।

माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने आने वाले समय में पानी के प्रबन्धन को एक मुख्य चुनौती बताया एवं यह निर्देशित किया कि पानी के दुरुपयोग को रोकना आवश्यक है एवं इसके लिये जल संरक्षण एवं वाटर ऑडिटिंग होना आवश्यक है एवं राज्य को दीर्घ कालीन योजना बनाने की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय ने घास/बीड़ आदि सुरक्षित रखने पर जोर दिया। वन क्षेत्रों में पशु चराई पर रोक लगाई जावे एवं वनों के पेड़ों/झाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जावे। अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास ने भूमि में पानी के रोकने के दौरान अंतिम छोर के काश्तकारों के हितों की रक्षा पर ध्यान रखने का आग्रह किया।

प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन एवं जन स्वा. अभि. विभाग ने यह अवगत करवाया कि पानी के रिचार्जिंग ढाँचे के लिये मास्टर प्लान बनाया हुआ है एवं नरेगा में इन कार्यों को प्राथमिकता से शामिल किये जाने का अनुरोध किया। साथ ही परम्परागत जल स्त्रोतों को भी साफ/मरम्मत करने हेतु नरेगा योजना का लाभ उठाया जाना चाहिये।

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अवगत करवाया कि विभाग द्वारा निजी कार्यों जैसे फार्म पोण्ड्स का निर्माण, डिग्गी व टांका निर्माण के कार्यों को नरेगा योजना के अन्तर्गत लिये जाने पर जोर दिया जा रहा है। पेयजल के ऐसे निर्मित स्त्रोतों में एक व दो हॉर्स पावर के कनेक्शन दिये जाने की आवश्यकता है जिससे कि सुचारू रूप से ड्रिप / स्प्रिंकलर से सिंचाई की जा सके।

इसके पश्चात् प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने विभाग द्वारा गत दिनों में विभिन्न मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया आदि की रोकथाम हेतु किये गये विभिन्न कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। राज्य में स्वाइन फ्लू के बढ़ते हुये प्रकोप को देखते हुये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चिन्ता व्यक्त की एवं विभाग द्वारा उठाये गये विभिन्न उपायों की समीक्षा की। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि स्वाइन फ्लू जांच के लिये सभी संभागीय जिलों पर प्रयोगशालायें स्थापित की जावें एवं इसके लिये टेण्डर कोटेशन इत्यादि की वित्तीय प्रक्रिया को छूट देकर पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जावे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को यह निर्देश दिये गये कि वे प्रयोगशाला स्थापित करने के लिये वांछित उपकरणों को जुटाने की त्वरित कार्यवाही अमल में लावें। इसके अतिरिक्त इस रोग के उपचार हेतु पृथक वार्ड/वेन्टिलेटर्स की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की जावे। शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन व राहत द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्व में दिए

गए निर्देशानुसार 6 करोड़ की राशि राज्य के छः चिकित्सा महाविद्यालयों के जीवन रक्षक उपकरण हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है तथा बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के जिला अस्पतालों के लिए 10 करोड़ की राशि आवंटन हेतु प्रमुख सचिव, वित्त के स्तर पर बैठक प्रस्तावित कर दी गई है व शीघ्र ही इसका भी निर्देशानुसार निस्तारण कर दिया जाएगा।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पशु संरक्षण गतिविधियों में पशु शिविर व गौशाला अनुदान दिनांक 15.11.09 से एवं पशु आहार केन्द्र दिनांक 1.1.2010 से प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त अनुग्रह सहायता की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि करने सम्बन्धी निर्णय के लिये राज्य कार्यकारी समिति को अधिकृत किया।

प्रतापगढ़ जिले से प्राप्त अभावग्रस्त गांवों के प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्णय विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर लिये जाने के निर्देश प्रदान किये।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

13/11/09

(तन्मय कुमार)
शासन सचिव, आ0 प्र0 एवं सहायता

दिनांक 7.11.2009 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित मंत्रीगण एवं अधिकारियों का विवरण

क.सं	नाम मंत्रीगण एवं अधिकारी,मय पद
1.	श्री हरजी राम बुरड़क,कृषि,पशु पालन एवं मत्स्य मंत्री
2.	श्री एमादुददीन खॉ उर्फ दुर्रु मियॉ,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
3.	श्री महिपाल मदेरणा,जल संसाधन एवं जन स्वस्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री
4.	श्री हेमाराम चौधरी,राजस्व,उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण मंत्री
5.	श्री भरत सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री
6.	श्री टी0 श्रीनिवासन, मुख्य सचिव
7.	श्रीमती अलका काला, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)
8.	श्री एस0 अहमद,अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि)
9.	श्री सी0के0 मैथ्यू,प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
10.	श्री आर0 के0 मीणा,प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
11.	श्री राम लुभाया,प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग
12.	श्री ओ0 पी0 सैनी, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग
13.	श्री सी0 एम0 मीणा, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग
14.	श्री अशोक सम्पतराम, प्रमुख शासन सचिव,राजस्व विभाग
15.	श्री जी0 एस0 सन्धु, प्रमुख शासन सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
16.	श्री प्रदीप सेन, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग
17.	श्री राजेन्द्र भाणावत, आयुक्त, नरेगा
18.	श्री तन्मय कुमार, शासन सचिव,आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग
19.	श्री डी0 एन0 पाण्डेय,विशिष्ठ सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय
20.	श्री बी0 एल0 जाटावत, उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय